राजस्थान में अगले साल से पेश होगा ग्रीन बजट : दिया कुमारी

- 119वां वनरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन समारोह समारोह में बोलीं उप मुख्यमंत्री
- 'वनरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में 1450 वन रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक होना गर्व की बात'

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में वानिकी सैटेलाईट प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 119वें वनरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। इस वनरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में 1450 वन रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यह गर्व की बात है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में अगले साल ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस बार मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में प्रभावी रूप से चलाये गए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान का उल्लेख किया और 5 करोड़ 85 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड उपलब्धि की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि मैं सवाईमाधोपुर से विधयाक रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वन तथा वन्य जीवों की रक्षा एक महत्पूर्ण चुनौती है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली वन रक्षकों को इस वन और वन्य जीवों की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन के साथ इकोपर्यटन भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इकोपर्यटन, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हो कर कार्य कर रही है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वन रक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वनों की कटाई रोकना, वन्य जीवों के शिकार को रोकना, वन्यजीवों की खोज कर उन्हें सुरक्षा देना, वनों का विस्तार करना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, जंगल को आग से बचाना, वनों पर अतिक्रमण को रोकना, जंगल में काम करते हुए जंगली जानवरों, शिकारियों, असामाजिक तत्वों से सावधान रहना और वनों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण करवाना ऐसी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी से पूरा किया जाए। इसमें निर्णय क्षमता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां है जो आपके सामने आएंगी उनका आपको दृढ़ता से मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्य का निवर्हन करना है।

डोटासरा के जन्मदिन पर कलेक्टर को ज्ञापन

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर तिवाडी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर केक काटकर डोटासरा का जन्मदिन मनाया। पीसीसी मुख्यालय पर युवा कांग्रेस नेता सत्यवीर आलोरिया की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

डोटासरा के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसानों को अतिवृष्टि से हुई फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने, बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश में माफियाओ द्वारा अवैध खनन पर रोक, बढ़ते महिला अपराध एवं अत्याचार के मामले की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

सामूहिकता के भाव से श्रेष्ठ कार्य करें : वासुदेव देवनानी

- उप सचिव रघुवीर सिंह का सेवानिवृत्ति समारोह
- विधान सभा अध्यक्ष ने समिति कार्यकारिणी को शपथ दिलाई

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधान सभा हमारी है, ऐसी सामूहिकता के भाव से श्रेष्ठ कार्य करे। उन्होंने कहा कि जीवन में व्यावहारिक सोच रखें। विधान सभा सेवा से रिटायर भले ही हो जायें, लेकिन जीवन में कभी भी टायर्ड महसूस न करें। सदैव कार्य करते रहे। देवनानी मंगलवार को यहां विधान सभा में उप सचिव रघुवीर सिंह के अर्धवार्षिक आयु प्राप्त होने पर आयोजित सेवा निवृत्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे।

देवनानी ने कहा कि विधानसभाओं के सम्मेलन में यह चर्चा थी कि राजस्थान विधान सभा देश की श्रेष्ठ विधान सभाओं में शुमार है। राजस्थान विधान सभा की यह पहचान विधान सभा के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी के योगदान से बनी है। विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा ने स्वागत उद्बोधन किया। सेवानिवृत्त उप सचिव रघुवीर सिंह ने अपने अनुभव सुनायें। इस मौके पर विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, उप सचिव संजीव शर्मा सहित विधान सभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने रघुवीर सिंह का साफा पहनाकर शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया।

देवनानी ने मंगलवार को यहां विधान सभा में राजस्थान विधानसभा सचिवालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शपथ दिलाई। देवनानी ने समिति में रवि कुमार जैन अध्यक्ष, अजय शर्मा उपाध्यक्ष, सुरेश मीणा सचिव, योगेश त्रिपाठी को कोषाध्यक्ष और आभा रस्तोगी, रसिक बिहारी मीणा, भानु प्रकाश शर्मा, अनिता शर्मा, रितेश मोदी, नरेश कुमार जोशी, रविन्द्र नैनावत और दीपक शर्मा को सदस्य पद की शपथ दिलाई।

घुमंतु बेघरों को मिलेंगे मुफ्त पट्टे

- मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह में आवासीय पट्टा वितरित करेंगे

जयपुर। इतिहास मे पहली बार राजस्थान मे रहने वाली 32 विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु जाति के दर-दर घूमने वाले बेघर लोग अपने स्थाई घर का सपना साकार करेंगे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे जयपुर में दुर्गापुरा, टोंक रोड स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। विशिष्ठ अथिति के रूप मे जयपुर की सांसद मंजू शर्मा उपस्थित रहेंगी। पट्टा वितरण कार्यक्रम एक साथ राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होगा। राज्य स्तरीय समारोह को समस्त जिलों मे होने वाले कार्यक्रमों मे लाइव दिखाया जायेगा।

चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। कुल चयनित 20721 परिवारों को प्रथम चरण मे पट्टे दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वच्छता ही सेवा-2024 कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे।

गांधी व शास्त्री जयंती पर शुभकामनाएं दीं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती (2 अक्टूबर) पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने न्याय, करूणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई।

राजस्थली को निजी हाथों में देने की योजना को निरस्त करने की मांग

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान सरकार की उपक्रम राजस्थली को निजी हाथों में देने की योजना को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।

सराफ ने बताया कि राजस्थान उद्योग विभाग के तहत हस्त शिल्पियों को रोजगार देने के साथ शिल्पियों की हस्त निर्मित वस्तुओं को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए अजमेरी गेट पर संचालित राजस्थली को कुछ अधिकारी निजी क्षेत्र में सौंपने की योजना को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। अधिकारियों का यह निर्णय राजस्थान के हजारों गरीब हस्त शिल्पियों के रोजगार पर बड़ा कुठाराघात होगा। सरकार के इस उपक्रम को निजी हाथों में देने से हस्तशिल्प उद्योग माफिया और लपको के हाथों में चला जायेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने हस्त शिल्पियों की कृतियों के उत्थान के लिए इस उपक्रम का गठन किया था। इसके तहत जयपुर के अजमेरी गेट के अतिरिक्त मुंबई कोलकाता, दिल्ली, माउंट आबू, और उदयपुर में संचालित केंद्र वर्षों से अच्छा काम कर रहे हैं। जयपुर का राजस्थली प्रदेश के शिल्पियों के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है।

सार-समाचार

'संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे सरकार'

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, श्रम सचिव और वित्त सचिव को कहा है कि वह संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे और उनके वेतन को न्यूनतम मजदूरी में समायोजित करे। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे संविदाकर्मियों के पीएफ व बीमा राशि का निवेश विधि सम्मत करने के निर्देश दिए जाए। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश दिए। आयोग ने कहा कि मामले में उचित कदम उठाकर एक माह में उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। आयोग ने कहा कि वर्तमान में संविदा कर्मियों को दिया जा रहा वेतन, न्यूनतम वेतन से भी मेल नहीं खाता है। एक दुखद पहलू यह भी है कि प्लेसमेंट एजेंसी आमतौर पर श्रमिकों के पीएफ और बीमा की राशि से कटौती तो कर लेती हैं, लेकिन इनका न तो निवेश किया जाता है और इसका वास्तविक भुगतान भी संविदाकर्मी श्रमिक को नहीं मिलता। राज्य सरकार ने विधायी प्रबंधन कर नियमित कर्मचारियों से अभाव में संविदाकर्मी लेने का प्रावधान कर रखा है, लेकिन ऐसे श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिल रहा है । जिससे आर्थिक तंत्र से जूझ रहा श्रमिक मानसिक तनाव के साथ ही अपने मूल अधिकारों से भी वंचित हो रहा है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आरक्षण का लाभ दें : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उसे ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश बबीता व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने 19 मई 2023 को एएनएम के 3736 पदों के लिए विज्ञिप्त जारी की थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया और उसके ईडब्ल्यूएस वर्ग में कट ऑफ से ज्यादा अंक थे। उसका जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन शादी राजस्थान में हुई। वह पिछले 15 साल से यहां की निवासी है। उसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र है। उसने दस्तावेजों का सत्यापन करवा दिया और 6 अक्टूबर 2023 की अस्थाई सूची में उसका नाम भी है, लेकिन उसे भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह एससी,एसटी व ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं ले रही है। इसलिए उसे ईडब्ल्यूएस वर्ग में ही आरक्षण का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए।

वंचित बच्चों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, केन्द्रीय बाल विकास कल्याण मंत्रालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि बच्चों को सभी प्रकार के दुव्र्यवहार से बचाने व सड़क किनारे रहने वाले बच्चों को आश्रय गृह, शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा वहीं बच्चों के अधिकारों व संरक्षण के लिए बनाए कानून व नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या पहल की है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य के सीएस, प्रमुख बाल अधिकारिता सचिव, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन, केन्द्र सरकार व रालसा के सदस्य सचिव से भी जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश फुटपाथ पर अपनी बेटियों के साथ रहने वाली विधवा महिला के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तंबू में रहने वाले बच्चों व महिला की देखभाल व सुरक्षा पर भी ध्यान दे। अदालत ने कहा कि किसी भी बच्चे को भारत के संविधान के अनुसार दिए गए उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार नहीं हो, चाहे वह शारीरिक हो या भावात्मक तौर रूप से हो। अदालत ने सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र लोढ़ा, एडवोकेट सुनील समदरिया व सोनल सिंह, एएजी मनोज शर्मा, एएसजी आरडी रस्तोगी को मामले में सहयोग करने के लिए कहा है।

ट्रैवल कंपनी पर 2.21 लाख रु.हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक से मेंबरशिप फीस लेने के बाद भी उसकी दुबई ट्रिप बुक नहीं करने व उसे भ्रमण नहीं कराने को सेवा दोष करार दिया है। वहीं आयोग ने विपक्षी कंपनी पार्क प्रिविऐरा हॉस्पिटिलिटी पर 2.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही मेंबरशिप के लिए वसूली राशि 1.05 लाख रुपए भी परिवादी को परिवाद दायर करने की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह निर्देश स्वेज फार्म निवासी सुनीता शर्मा व संजय शर्मा के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि परिवादियों ने विपक्षी को कई बार ट्रिप बुक करवाने के लिए ईमेल किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही जमा राशि ही रिफंड की। परिवाद में अधिवक्ता शकील खान ने बताया कि परिवादियों ने 18 नवंबर 2022 को विपक्षी कंपनी में 1.05 लाख रुपए जमा करवाकर पांच साल के लिए उनकी मेंबरशिप ली थी। इस दौरान उसने 27 दिसंबर 2022 से एक जनवरी 2023 तक की अवधि में दुबई ट्रिप बुक करवाने के लिए कंपनी को ईमेल किया, लेकिन कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन का हवाला देते हुए ब्लैक आउट डेट्स, दीवाली पीरियड सहित 24 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच भ्रमण की सुविधा मुहैया कराने से मना कर दिया। इसके बाद भी परिवादियों ने कई बार ट्रिप बुक करने के लिए विपक्षी कंपनी से कहा, लेकिन उन्होंने दुबई का ट्रिप बुक नहीं किया।